



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
जिला-टोंक



*** जाति प्रमाण-पत्र ***

क्रमांक : RJ22/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/7704
दिनांक 14-07-2016

आवेदक का आधार नम्बर : नहीं

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी करिश्मा कुमारी मीना पुत्री खेमराज सिंह मीना गांव/नगर ग्राम पोस्ट देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान जिला/डिवीजन टोंक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन) आदेश 1956, बर्माई पुनर्गठन अधिनियम 1960, राज्यालय पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति तथा निपेयार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (द्वारा तथा नगर क्षेत्रों) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (द्वारा तथा नगर क्षेत्रों) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (प्रदेशों) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागा क्षेत्र) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी करिश्मा कुमारी मीना गांव/नगर ग्राम पोस्ट देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान जिला/डिवीजन टोंक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 21(37) एस. जे. ई. /कम्प्यू. /ई. जी. /08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, देवली

Digitally signed by
KUMAR MANOJ
Date: 2016.07.14
00:01:03 IST
Reason: GCM
Location: Rajasthan



1822087910107935

E 000741570



Scanned with OKEN Scanner